प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1983/2005

याचिकाकर्ता - आशीष कुमार दास

बनाम

उत्तरवादीगण - मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) एवं अन्य

.....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री समीर बेहर, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

आदेश

(दिनांक 23 जनवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 28-2-2000 (अनुलग्नक क.-9) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा यह कहते हुए कि उसकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं हैं, उसे सेवा से हटा दिया गया, तथा दिनांक 13-3-2000 (अनुलग्नक क.-10) के पत्र को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण अवैध घोषित किया गया।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 18-7-1986 (अनुलग्नक क.-1) के आदेश द्वारा कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में साइकिल स्टैंड के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि उसकी सेवाएं

बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात, दिनांक 30-7-1990 (अनुलग्नक क.-3) के आदेश द्वारा उसे रिक्त पद के विरुद्ध आकस्मिक निधि से 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में वाटरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 30-3-1993 (अनुलग्नक क.-4) के आदेश द्वारा 1-4-1993 से नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया। उसे संशोधित वेतनमान भी प्रदान किया गया तथा उसके वेतन से विभागीय भविष्य निधि के लिए कटौती भी की जाती रही। दिनांक 28-2-2000 (अनुलग्नक क.-9) को याचिकाकर्ता को एक आदेश देकर यह कहते हुए सेवा से हटा दिया गया कि उसकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं हैं। उसके द्वारा कार्य की गई अवधि के लिए उसे उपादान का भुगतान भी किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 13-3-2000 (अनुलग्नक क.-10) के पत्र द्वारा, दिनांक 30-3-1993 (अनुलग्नक क.-4) के आदेश से किए गए नियमितीकरण को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ता की वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति 31-12-1988 के बाद हुई थी, अतः वह नियमितीकरण का अधिकारी नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार सेवाएं नियमित किए जाने के पश्चात, बिना विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए तथा बिना याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए, उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 31-12-1988 के बाद लगाया गया प्रतिबंध, दिनांक 31-3-2000 (अनुलग्नक क.-11) के परिपत्र के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता।

(4) इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की गई थी, बिना समान रूप से पात्र अन्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। अतः बाद में किया गया नियमितीकरण याचिकाकर्ता को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान नहीं करता, क्योंकि

प्रारंभिक नियुक्ति ही संवैधानिक रोजगार योजना के अनुरूप तथा उस समय प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार नहीं की गई थी।

(5) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 30-7-1990 (अनुलग्नक क.-3) के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसकी नियुक्ति विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं संवैधानिक रोजगार योजना के अनुरूप की गई थी। इसके पश्चात, दिनांक 30-3-1993 (अनुलग्नक क.-4) के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किए जाने से याचिकाकर्ता को उक्त पद पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) सर्वोच्च न्यायालय ने समान परिस्थितियों पर विचार करते हुए **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम योगेश चंद्र दुबे एवं अन्य**[1] के मामले में निम्न प्रकार कहा है:-

> **"9.** इसमें न तो कोई संदेह है और न ही विवाद कि उत्तरवादियों की नियुक्ति वैधानिक नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। उनकी सेवाएं अधिकारियों द्वारा केवल परिस्थितियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ली गई थीं। कोई पद स्वीकृत नहीं था। रिक्तियों की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। यह अब स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाला राज्य, जब सार्वजनिक रोजगार प्रदान करता है, तो उसे संवैधानिक एवं वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। पदों पर नियुक्ति प्रचलित नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए। नियमितीकरण नियुक्ति का कोई माध्यम नहीं है। यदि किसी भर्ती को नियमितीकरण के माध्यम से किया जाता है, तो वह 'पिछले दरवाजे' से की गई नियुक्ति मानी जाएगी, जिसे कोई विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है।"

---

1 (2006) 8 SCC 67

(7) म.प्र. आवास मंडल एवं एक अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने (एससीसी पृष्ठ 708) यह अभिनिर्धारित किया कि — "यदि उपर्युक्त कारणों से नियुक्ति अवैध है, तो उसे नियमितीकरण के माध्यम से वैध नहीं बनाया जा सकता। नियमितीकरण के उद्देश्य से, जो संबंधित कर्मचारी को स्थायी दर्जा प्रदान करता है, किसी स्वीकृत पद का अस्तित्व होना आवश्यक है। तथापि, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमितीकरण अपने आप में स्थायित्व का अर्थ नहीं है।"

(8) उपर्युक्त स्थापित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता की वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर की गई नियुक्ति संवैधानिक रोजगार योजना के अनुरूप नहीं थी। भले ही नियुक्ति किसी रिक्त पद के विरुद्ध की गई हो, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक योजना के अनुसार सभी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु खुली विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं की गई। अतः दिनांक 30-7-1990 (अनुलग्नक क.-3) के आदेश द्वारा की गई नियुक्ति को बाद के नियमितीकरण से वैध नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण, निरंतरता अथवा पुनर्स्थापन का प्रश्न अब विवादित नहीं रह गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि ऐसे कर्मचारियों को पद पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, अतः उन्हें नियमितीकरण या पुनर्नियुक्ति का अधिकार भी नहीं है।

(10) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा **जसवंत सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[3] के प्रकरण पर लिया गया अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य**[4] में संविधान पीठ द्वारा विधि की सही स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित की जा चुकी है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

---

2 (2006) 2 SCC 702
3 (2002) 9 SCC 700
4 (2006) 4 SCC 1

(11) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur